

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) नगर (भरतपुर)

आंशिक डिक्री व मुकदमें इक्टदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाक्ता दीवानी)

सीन अधिकारी : राजवीरसिंह यादव

व वाद संख्या : 71 / 2014

निर्णय दिनांक : 30.07.2018

1. रूपचंद
2. अमर चंद
3. रामगोपाल

पिस. स्व. श्री बिहारी जाति अहीर निवासी वार्ड नं. 14 कस्बा नगर तह0
तह0 नगर जिला भरतपुर

— वादीगण

बनाम

1. श्याम सुन्दर पिसर मुतवन्ना गणपत सिंह
2. कन्हैया सिंह
3. बाबू सिंह
4. मान सिंह
5. हरी सिंह

पिस0 करन सिंह

जातियान ठाकुर निवासी कस्बा नगर तह. नगर
जिला भरतपुर

6. दान सिंह पुत्र गिरधारी
7. किशन सिंह पुत्र रामनाथ सिंह
8. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नगर
10. राजस्थान सरकार तामील जरिये उपपंजीयक नगर

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88-89, 188 आर0टी0ए0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू हमारे बहाजरी श्री दिनेश गुप्ता
भाषक मिनजानिब मुद्दई मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि दावा
गण डिक्री किया जाता है । कस्बा नगर तह0 नगर में स्थित प्रतिवादीगण की खातेदारी के ख0नं0
2/0.33 मे से 0.04 हैक्टे0, खसरा नम्बर 2003/0.15 में से 0.01 हैक्टे0 एवं खसरा नम्बर 2004/0.
में से 0.01 हैक्टे0 कुल रकबा 0.06 हैक्टे0 रकबा कम किया जाकर वादीगण के खातेदारी के ख0नं0
1/0.91 के रकबा में सामिल करते हुए 2001/0.97 पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित
जाता है



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
(राजवीरसिंह यादव) (भरतपुर) गज
उपखण्ड अधिकारी

(सहायक कलक्टर) नगर

डिक्री बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.07.2018 को जारी की

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
(राजवीरसिंह यादव) (भरतपुर) गज0
उपखण्ड अधिकारी

(सहायक कलक्टर) नगर